

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(2)मं.मं./2014

जयपुर, दिनांक 27/7/17

आज्ञा

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन डी. बी. सिविल रिट याचिका (पी.आई.एल.) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम् राजस्थान सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2017 के पैरा 205 में दिन्दु संख्या-xxvii में निम्न निर्देश प्रदान किये गये हैं :-

“(xxvii) The State shall constitute a high power committee consisting of inter alia the experts of the field, to frame the Relocation Scheme with regard to shifting of hazardous industries\industrial areas located in close vicinity of the residential colonies, after conducting to take the appropriate measures for shifting of industries so as to save the citizens from illeffects of industrial activities, shall be placed before this court.”

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार उच्च अधिकार प्राप्त मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है:-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. श्री राजपाल सिंह शेखावत,<br>मंत्री, उद्योग विभाग                               | अध्यक्ष |
| 2. श्री गजेन्द्र सिंह खीवसर,<br>मंत्री, वन, पर्यावरण, युवा मामले और खेल विभाग     | सदस्य   |
| 3. श्री श्रीचन्द्र कृपलानी,<br>मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग | सदस्य   |
| 4. श्री अमराराम,<br>राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्व विभाग                  | सदस्य   |

उक्त समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं विशेषज्ञों को बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, उद्योग विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

ED

(पवन कुमार गोयल)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
8. रक्षित पत्रावली।

(अनिल कुमार गुप्ता)  
शासन उप सचिव